

08 DEC 2021

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अमित नाहर हाजिर। हाजिर वकील प्रार्थी ने आदेशिका पर अंकित कर निवेदन किया कि प्रकरण में वर्तमान परिस्थितियों प्रार्थी कंपनी अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहती है, किन्तु भविष्य में इसी आराजीयात के संबंध में नवीन प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ प्रार्थना पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई की गई बहस बाबत कार्यवाही विद्वा को एक तरफा सुना गया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली वर्तमान में प्रारम्भिक स्थिति पर लम्बित है प्रकरण वर्तमान में तलबी में ही लम्बित है प्रकरण में प्रक्षकारान की तलबी होना शेष है। प्रकरण में

प्रार्थी की गति में
आदेशिका में
स्थिति में
अमित नाहर



(तारा चन्द श्रीणा)

जिला क्लर्क

चित्तौड़गढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	------------------------------------	--

प्रार्थी कंपनी वर्तमान में अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलना चाहती है किन्तु भविष्य में आराजीयात जैरबहस बाबत इसी न्यायालय में नवीन आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती है ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी कंपनी को आराजीयात जैरबहस बाबत इसी न्यायालय में नवीन आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है, प्रार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 (02)(04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को विद्रोल में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तारा चन्द सीणा)
जिला कलक्टर
फिलौडगढ़
08 DEC 2021

